न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 01/2015 एल.आर. एक्ट

आर्य अतुलानन्द पुत्र राधेश्याम जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर , बीकानेर

अपीलान्ट्

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान
2 कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)
2/1 शारदादेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
2/2 तुलसीराम पुत्र स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
2/3 सोहनलाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
2/4 विपिन पुत्र स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
2/5 सन्तोष पुत्री स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
2/6 उमादेवी उर्फ जेठी पुत्री स्व. स्व. कन्हैयालाल माली (पंवार) निवासी बच्छासर रोड़ फूसनाथ जी मढी के पास, करमीसर,तहसील बीकानेर।
3. गोपाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)
3/1 शारदादेवी पत्नी स्व. गोपाल माली (पंवार) निवासी सरकारी स्कूल के पास श्रीरामसर, बीकानेर।
3/2 विजय पंवार पुत्र स्व. गोपाल माली (पंवार) निवासी सरकारी स्कूल के पास श्रीरामसर, बीकानेर।
3/3 पवन पंवार पुत्र स्व. गोपाल माली (पंवार) निवासी सरकारी स्कूल के पास श्रीरामसर, बीकानेर।
3/4 भगवती उर्फ बेबी पुत्र स्व. गोपाल माली (पंवार) निवासी सरकारी स्कूल के पास श्रीरामसर, बीकानेर।
4. किशनलाल पुत्र शंकरलाल | जाति माली निवासी श्रीरामसर
5. श्रीमती छोटा पुत्री शंकरलाल | तहसील व जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

6. जगमालाराम पुत्र बागाराम जाति बिश्नोई निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर
7. श्रीमती रेणु पत्नि सोहनलाल जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8	अशोक कुमार पुत्र परमेश्वरलाल	जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर
9.	नरोत्तम पुत्र परमेश्वरलाल	
10.	सरलादेवी पत्नि परमेश्वरलाल	

11. परमेश्वरलाल पुत्र द्वारकादास जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर
12. देवीलाल पुत्र सुल्तानाराम जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर बीकानेर
13. कौशल्यादेवी पत्नि देवीलाल जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर बीकानेर
14. सुल्तानाराम पुत्र भुराराम जाति स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर बीकानेर (फौत)

गौणरेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपालसिंह – रेस्पोडेंट नं. 4
3. श्री राधाकिशन स्वामी – रेस्पो. नं. 6,8,9,10,11,12,13
4. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया– रेस्पोडेंट नं. 2/1 ता 2/6 व 3/1 ता 3/4 व 5
5. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 10–12–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–11–2014 सपठित संशोधित आदेश दिनांक 18–11–2014 के विरूद्ध पेश हुई है, जिसके अनुसार अपीलांट एवं गौणरेस्पोडेंट नं. 6 ता 14 की खरीदशुद्वा एवं जमाबन्दी रिकार्ड ऑफ राईट्स मे दर्ज शुद्वा खातेदारी भूमि खसरा नं. 175 तादादी 10 बीघा मौजारोही करमीसर को अराजीराज दर्ज करने के आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया जाना अंकित किया गया है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादगत भूमि उपनिवेशन खसर नं. 175 तादादी 10 बीघा तथा खसरा नं. 202 तादादी 1 बीघा 19 बिस्वा मौजा रोही करमीसर श्रीमती भंवरी बेवा शंकरलाल माली को उपनिवेशन तहसील बीकानेर द्वारा दिनांक 29–8–1972 को एक साला टी.सी. पर आंवटन किया गया। जिसका नवीनीकरण सम्वत 2042 सन् 1985–86 तक लगातार किया जाता रहा। बाद भी ग्राम करमीसर को उपनिवेशन क्षेत्र से डी–कोलोनाईज्ड कर दिया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार टीसी होल्डर(अस्थाई आवंटन) को राजकीय कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत गैरखातेदार आवंटी माना जाकर खातेदारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकार देना था। वादगत भूमि उपनिवेशन खसरा नं. 175 पूर्व में राजस्व खसरा नं. 88/159 से बने है। प्रार्थीनी भंवरी देवी को समस्या समाधान शिविर में दिनांक 26–09–1998 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा खातेदारी सनद के अनुसार रिकार्ड में अमलदराद किया गया। अपीलांट व गौण रेस्पोडेंट्स वादगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। उनका नाम जमाबन्दी गिरदावरी में खातेदार के रूप मे दर्ज है। अपीलान्ट वादगत भूमि को खातेदार काश्तकार से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से पूरी प्रतिफल राशी अदा कर खरीद की है तथा विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कंहा कि श्रीमती भंवरी बेवा शंकरलाल माली को उपनिवेशन तहसील बीकानेर द्वारा दिनांक 29–8–1972 को एक साला टी.सी. पर आंवटन किया गया। जिसका नवीनीकरण सम्वत 2042 सन् 1985–86 तक लगातार किया जाता रहा। बाद भी ग्राम करमीसर को उपनिवेशन क्षेत्र से डी–कोलोनाईज्ड कर दिया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार टीसी होल्डर(अस्थाई आवंटन) को राजकीय कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत गैरखातेदार आवंटी माना जाकर खातेदारी अधिकार देना था। वादगत भूमि उपनिवेशन खसरा नं. 175 पूर्व में राजस्व खसरा नं. 88/159 से बने है। प्रार्थीनी भंवरी देवी को समस्या समाधान शिविर में दिनांक 26–09–1998 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा खातेदारी सनद के अनुसार रिकार्ड में अमलदराद किया गया। अपीलांट व गौण रेस्पोडेंट्स वाददगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। उनका नाम जमाबन्दी गिरदावरी में खातेदार के रूप मे दर्ज है। अपीलान्ट वादगत भूमि को खातेदार काश्तकार से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से पूरी प्रतिफल राशी अदा कर खरीद की है तथा विक्रय पत्र के आधार पर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है। तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांकः 4220 दिनांक 13–7–2011 थानाधिकारी पुलिस थाना बीघवाल को लिखा गया जिसमें श्रीमती भंवरीदेवी को वादगत भूमि की खातेदारी आदेश क्रमांक 154 दिनांक 26–09–1998 को समस्या समाधान शिविर केम्प पंचायत समिति, बीकानेर में तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा आदेश देना स्वीकार किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 में विशेष रूप से भूमि से संबंधित रिकार्ड किस तरह से रखा जावे व भूमि पर काश्त का इन्द्राज लगान की वसुली रिकार्ड ऑफ राईट किस तरह से तैयार किया जावें का प्रावधान किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया है। जिला कलेक्टर, बीकानेर ने वादगत भूमि को सेटएपार्ट कर नगर विकास न्यास, बीकानेर के पक्ष में आदेश दिनांक 16–1–2007 पारित किया। जिसके विरूद्व अपीलांट व गौणरेस्पोडेंटान ने राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 14/2008 अनुवानी परमेश्वरलाल वगैरह बनाम स्टेट प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 25–6–2008 द्वारा स्वीकार कर जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 25–6–2008 के विरूद्व नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 7939/2007 अनुवानी नगर विकास न्यास, बीकानेर बनाम परमेश्वरलाल प्रस्तुत की गई, जो नगर विकास न्यास, बीकानेर ने आपसी राजीनामे के आधार पर आदेश दिनांक 19–7–2013 द्वारा जरिये विड्रोवल खारिज करवा ली। माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 25–6–2008 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 19–7–2013 अन्तिम आदेश हो चुके है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों अनदेखी कर आदेश जैर अपील पारित किया है जो हर सुरत में निरस्त करने योग्य है

5. रेस्पोडेंट नं. 4 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कहा कि ग्राम करमीसर रोही स्थित उपनिवेशन खेत खसरा नं. 175 तादादी 10 बीधा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भूमि श्रीमति भंवरी बेवा शंकरलाल माली के नाम तहसीलदार भू.अ. बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 154 दिनांक 26.09.1998 कार्यालय तहसील बीकानेर से जारी होना पाया गया एवं ना ही उक्त भंवरी द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र शिविर मे खातेदारी प्रदान करने हेतु प्रस्तुत हुआ। उक्त समस्त तथ्य बाबत जांच रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व बीकानेर के पत्र दिनांक 31.10.2014 से स्पष्ट है। खातेदारी आदेशस दिनांक 26.09.1998 के आधार पर दर्ज नामान्तरण करण संख्या 412 दिनांक 30.12.2007 व उसके तत्पश्चात के अंकन प्रभावशुन्य है। उक्त वादगत भूमि बाबत तहसीलदार बीकानेर में खातेदारी प्रकरण सं. 92/96 भंवरी पत्नी शंकरलाल दिनांक 30.12.2002 तक अंतिम पेशी मुकर्रर हो। आज दिनाक तक उक्त कार्यवाही/प्रकरण विचाराधीन है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 14 के परिजन सोमेश्वर पुत्र परमेश्वर द्वारा एक मुखत्यारनामा आम भंवरी बेवा शंकरलाल के वारिसान कन्हैयालाल,गोपाल,किशनलाल, छोटी बाई से दिनाक 21.07.2007 को खातेदारी दिलवा देने का कह कर प्राप्त किया गया। उक्त मुखत्यारआम सोमेश्वर द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रभावशुन्य खातेदारी दस्तावेज दिनांक 26.09.1998 एवं विक्रय पत्र दिनाक 30.08.2007 जो अपने परिजनो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 14 के नाम पंजीबद्व करवाया गया के आधार पर दर्ज करवाये गये नामान्तरण्करण 412 व 413 दिनांक 30.12.2007 शुरू से ही प्रभाव शुन्य है। उक्त समस्त तथ्यो बाबत राजस्व अमला के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन व उन पर हुई जांच के पश्चात सहायक भू अभिलेख अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 7–11–2014 व संधोशित आदेश दिनांक 18–11–214 विधि सम्मत व राज्यहित में पारित किया गया जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

6. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोडेंट संख्या 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि की खातेदारी के संबंध में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पुलिस थाना, बीछवाल को दिये गये जवाब दिनांक 13–7–2011 के अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी तहसीलदार, बीकानेर द्वारा जारी किया जाना कतई गलत है, वांछित खातेदारी के

भागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश नायब तहसीलदार द्वारा श्रीमती भंवरीदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसील के कार्मिकों ने अपने अप्रत्यक्ष लाभ के लिये पत्रावली खुर्द–बुर्द कर दी है। मात्र मामले को रंगत देने की नियत से उक्त खातेदारी को फर्जी होना बता देने मात्र से विधिवत् जारी न्यायिक आदेश फर्जी नहीं हो सकता। खातेदारी आदेश दिनांक 26–09–1998 किसी भी प्रकार से दुषित नहीं है और ना ही उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 30–12–2007 भी अवैद्य व दुषित है। रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पूर्णतया नुमाईसी एवं कयासों के आधार पर लिखी गई है। मुख्यारनामा दिनांक 21–07–2007 में वादगत भूमि के साथ साथ खसरा नं. 202 की भूमि भी सम्मिलित थी। खसरा नं. 202 की भूमि किन्ही कारणों से अराजीराज दर्ज कर दी गई थी। इस प्रकरण की वास्तविकता यह है कि खातेदारी अधिकार पूर्णतयाः विधि सम्मत है, जिसके आधार पर रेस्पोडेंटान के मुख्त्यारआम द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30–8–2007 निष्पादित व पंजीबद्व हुआ, पूर्णतया विधिसम्मत थे व है। आपसी मनमुटाव के कारण रेस्पोडेंटान द्वारा इस तरह के कथन प्रारम्भ में कर दिये गये, लेकिन अब सभी रेस्पोडेंटान ने इस संबंध में अपने शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये है, जिनमें यह स्वीकार किया गया है कि खातेदारी आदेश दिनांक 26–9–1998 पूर्णतयाः विधि सम्मत है। चूँकि रेस्पोडेंट संख्या 4 अपने अभिभाषक के सम्पर्क में नहीं था इस कारण अभिभाषक ने प्रकरण में उनकी ओर से मौखिक व लिखित बहस प्रस्तुत कि, तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 4 किशन लाल ने अपनी ओर से एक शपथ पत्र उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया है। उक्त सभी परिस्थितियों मे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील उपरोक्त कारणों के आधार पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेंट नं. रेस्पोडेंट नं. 2/1 ता 2/6, 3/1 ता 3/4 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुऐ अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–11–2014 एवं संशोधित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 18–11–2014 सही है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

9. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

1. इस अपील में मुख्य विवाद ग्राम करमीसर के उपनिवेशन खसरा नं 175 की 10 बीघा भूमि के संबंध में श्रीमती भंवरीदेवी बैवा शंकरलाल माली के पक्ष में खातेदारी नामान्तरण दर्ज होने तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को बिना खारिज करवाये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित किया।
2. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक के निम्नलिखित मुख्य कथन है कि:

(i) वादगत खेत उपनिवेशन खसरा नं 175 की 10 बीघा श्रीमती भंवरी बेवा शंकरलाल माली को उपनिवेशन तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 29–8–1972 को एक साला टीसी आवंटन किया गया था उसके बाद उसका नवीनीकरण होता रहा। तहसीलदार, समस्या समाधान शिविर कैम्प, पंचायत समिति, बीकानेर के द्वारा आदेश क्रमांकः 154 दिनांक 26–9–1998 द्वारा खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर ने अपने पत्रांक 4220 दिनांक 13–7–2011 से थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल को सूचित किया है कि खातेदारी आदेश क्रमांकः 154 दिनांक 26–9–1998 पर तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री नत्थूराम के हस्ताक्षर है। उक्त खातेदारी आदेश समस्या समाधान शिविर कैम्प पंचायत समिति, बीकानेर में जारी किया गया है जो उचित है।

(ii) जिला कलक्टर, बीकानेर ने वादगत भूमि का आदेश दिनांक 16–1–2007 द्वारा नगर विकास न्यास, बीकानेर के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये। जिसके विरूद्व अपीलांट व गौण रेस्पाडेंट्स द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमें आदेश दिनांक 25–6–2008 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, बीकानेर का आदेश निरस्त कर दिया गया। नगर विकास न्यास, बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 25–6–2008 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जरिये विड्रोवल आदेश दिनांक 19–7–2013 खारिज करवा ली।

(iii) रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि आवंटी श्रीमती भंवरी बेवा शंकरलाल माली के नाम खातेदारी आदेश क्रमांक' 154 दिनांक 26–9–1998 पारित नहीं किया है अतः मुख्त्यारआम सोमेश्वर द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रभावशुन्य खातेदारी दस्तावेज दिनांक 26–9–1998 एवं विक्रय पत्र दिनांक 30–8–2007 जो अपीलांट व रेस्पोडेंट नं 6 ता 14 के नाम पंजीबद्व करवाया गया है के आधार पर दर्ज करवाये गये नामान्तरकरण क्रमशः 412, 413 दिनांक 30–12–2007 शुरू से ही प्रभाव शुन्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नही है।

4. न्यायालय के अनुसार शिविर कैम्प, में जारी आदेश क्रमांकः 154 दिनांक 26–9–1998 द्वारा श्रीमती भंवरीदेवी के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाने के संबंध में तहसीलदार, बीकानेर ने एक तरफ तो उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 5.11.2014 प्रस्तुत कर श्रीमती भंवरीदेवी के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज करने से संबंधित रिकार्ड उनके कार्यालय में तलाश करने पर नहीं होना बताते हुऐ वादगत भूमि को अराजीराज दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। दुसरी ओर तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर द्वारा ही अपने पत्रांक 4220 दिनांक 13–7–2011 से थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल को सूचित करते हुऐ आदेश क्रमांकः 154 दिनांक 26–9–1998 जारी होना अवगत करवाया है तथा रेस्पोडेन्ट अपने द्वारा लिखित रसीद व शपथ पत्रो मे मानते हे कि उक्त खातेदारी आदेश सही है। इससे जाहिर होता है कि उक्त आदेश दिनांक 26–9–1998 जारी हुआ है तथा संबंधित पत्रावली दिनांक 13–7–2011

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को तहसील कार्यालय, बीकानेर में मौजूद थी। इसके अलावा जिला कलक्टर, बीकानेर ने वादगत भूमि को नगर विकास न्यास, बीकानेर के पक्ष में दर्ज करने के आदेश दिये, जिसको राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने आदेश दिनाक 25.06.2008 द्वारा निरस्त कर दिया। नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश कर नगर विकास न्यास बीकानेर ने ही राजीनामा के आधार पर जरिये विड्रोवल अपील खारिज करवा ली। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को भी सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है। हम अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 25–6–2008 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 19–7–2013 अन्तिम है, जिसके विरूद्व किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं गई है। अतः उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश चलने योग्य नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 7–11–2014 एवं दिनांक 18–11–2014 निरस्त किये जाते है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–12–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

अपील सं. 01/2015 अन्तर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट

अनुवान
आर्य अतुलानन्द
बनाम
स्टेट, कन्हैयालाल (फौत), शारदादेवी वगैरह

संशोधित आदेश

दिनांक 16.12.2019

उपरोक्त अनवानी अपील प्रकरण संख्या 01/2015 एलआर एक्ट अनुवान आर्य अतुलानन्द बनाम स्टेट कन्हैयालाल(फौत), शारदादेवी वगैरह में इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 10–12–2019 में आंशिक संशोधन करते हुऐ आदेश दिये जाते है कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 की पक्ति संख्या 2 में एवं इसी पृष्ठ के पैरा संख्या 4 की पक्ति संख्या 10 व 11 में अकिंत "राजस्व खसरा नं. 88/159" के स्थान पर "राजस्व खसरा नं. 88/169" पढ़ा एवं समझा जावें। यह संशोधन निर्णय दिनांक 10–12–2019 का आवश्यक पार्ट माना जावें।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.06 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: